न्यायालय सहायक कलक्टर(उपखण्ड अधिकारी),आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी – श्री डॉ. अंशु प्रिया, आई.ए.एस.

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
गुमानसिंह पुत्र फुआ, निवासी सालगांव, आबूपर्वत		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार देलदर।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 125,136 भू.राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व प्रार्थना संख्या 2/2026

दिनांक 12. 2.**2026**

आदेश

यह कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 125, 136 भू.राजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया कि मौजा सालगांव के खाता संख्या नया 20 पुराना 18 खसरा नंबर 83 एवं खाता संख्या नया 76 पुराना 70 खसरा नंबर 269 की जमाबंदी में प्रार्थी का नाम राजस्व कर्मचारियों की त्रुटि से क्रमशः कमा पुत्र कूपासिंह एवं कमू पुत्र फुआ नाम दर्ज हो गया है। अतः प्रार्थी द्वारा मौजा सालगांव , तहसील देलदर के खाता संख्या नया 20 पुराना 18 खसरा नंबर 83 एवं खाता संख्या नया 76 पुराना 70 खसरा नंबर 269 में शुद्धि करा सही नाम गुमान सिंह पुत्र फुआ जी दर्ज कराने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

भू.अ.निरीक्षक आबूपर्वत की मौका फर्द दिनांक 04.12.2025 के अनुसार गुमानसिंह पुत्र फुआ के ग्राम सालगांव में खसरा नंबर 83 व 269 में क्रमशः कमा पुत्र कूपासिंह व कमु पुत्र फुआ दर्ज है जबकि सही नाम गुमानसिंह पुत्र फुआ है।

हमने बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं बहस पर मनन के आधार पर स्पष्ट है कि मौजा सालगांव के खाता संख्या नया 20 पुराना 18 खसरा नंबर 83 एवं खाता संख्या नया 76 पुराना 70 खसरा नंबर 269 की जमाबंदी में प्रार्थी का नाम कमा पुत्र कूपासिंह एवं कमू पुत्र फुआ गलत दर्ज हो गया है। अतः मौजा सालगांव के खाता संख्या नया 20 पुराना 18 खसरा नंबर 83 एवं खाता संख्या नया 76 पुराना 70 खसरा नंबर 269 में प्रार्थी का सही नाम गुमान सिंह पुत्र फुआ दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। आदेशानुसार जमाबंदी में अप्रार्थी सुधार करे।

(हस्ताक्षर)

(डॉ. अंशु प्रिया) I.A.S.
सहायक कलक्टर(उपखण्ड अधिकारी)
आबूपर्वत

क्रमांक/कोर्ट/2026/
दिनांक

प्रतिलिपि :– तहसीलदार, देलदर को पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(हस्ताक्षर)

सहायक कलक्टर(उपखण्ड अधिकारी)
आबूपर्वत

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshu Priya
Date: 2026.03.11 18:36:47 IST
Reason: SelfAttested